

# Haryana Government Gazette **EXTRAORDINARY**

# Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34–2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 4, 2021 (PHALGUNA 13, 1942 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

#### Notification

The 4th March, 2021

No. 05-HLA of 2021/10/4599.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 5-HLA of 2021

### THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2021

#### A

#### BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Short title. (Amendment) Act, 2021.

For the existing fourth proviso to sub-section (1) of section 3 of the Haryana Development Amendment of and Regulation of Urban Areas Act, 1975, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of migration of licence, the colonizer shall pay the of 1975. outstanding renewal fee with interest accrued upto the date of payment. However, the licence fee, state infrastructure development charges, conversion charges and external development charges, including interest paid thereon, for the area under migration may be adjusted firstly in the license being granted upon migration and balance in any other licence of the same developer/colonizer. Further, if any balance remains, even after adjustment (s), then the same shall stand forfeited:".

Section 3 of Haryana Act 8

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section-3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Acts, 1975 and Rule 17A(2) & 17A (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 provide for migration of existing license to another category. However, the prevailing provisions for migration of license do not seem to be equitable.

As per the existing provision in the Act of 1975, a licensee who either deposits the entire EDC/IDC dues as per schedule or makes a substantial payment of EDC/IDC before migrating to a different category of license where the rates of EDC/IDC are low, is at disadvantage since the entire excess payment made against EDC/IDC in the existing license is forfeited. On the other hand, a licensee who is a major defaulter in terms of EDC/IDC does not get penalized for such default and gets away by either getting its entire EDC/IDC payments adjusted or by making any such payment for the new license, as required. This process does not seem to be equitable. Therefore, section 3 of Act of 1975 is proposed to be amended to make the process equitable.

Hence the Bill.

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana, Chandigarh.

Chandigarh: The 4th March, 2021. R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 5 एच०एल०ए०

## हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा संक्षिप्त नाम। जा सकता है।
- 2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप—धारा (1) में, विद्यमान चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

"परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के स्थानान्तरण की दशा में, उपनिवेशक भुगतान की तिथि तक प्रोद्भूत ब्याज सिहत बकाया नवीनीकरण फीस का भुगतान करेगा। तथापि, स्थानान्तरण के अधीन क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति फीस, राज्य अवसंरचना विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और बाह्य विकास प्रभार, जिसमें उस पर भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है, प्रथमतः स्थानान्तरण पर प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्ति में और अतिशेष उसी विकासक / उपनिवेशक की किसी अन्य अनुज्ञप्ति में समायोजित किया जा सकता है। आगे, यदि कोई अतिशेष, समायोजन (समायोजनों) के बाद भी रहता है, तो वह समपहृत हो जाएगा।"।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 3 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 के नियम 17क (2) व 17क (3) के अनुसार किसी भी वर्तमान अनुज्ञप्ती को किसी दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण (माईग्रेशन) का प्रावधान है। परन्तु अनुज्ञप्ती के स्थानांतरण बारे वर्तमान प्रावधान न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।

अधिनियम 1975 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार यदि कोई अनुज्ञप्तीधारी ई०डी०सी०/आई०डी०सी० का पूर्ण या पर्याप्त भुगतान अनुज्ञप्ती की बकाया देय अनुसूचि के अनुसार कर देता है तथा स्थानांतरण की जाने वाली अनुज्ञप्ती की ई०डी० सी०/ आई० डी० सी० में बकाया देय यदि कम है, तो वह अनुज्ञप्तीधारी की शेष राशि जब्त हो जाती है। जबिक दूसरी ओर, जो अनुज्ञप्तीधारी ई० डी० सी०/ आई० डी० सी० देय नहीं चुकाने के दोषी है, वे स्थानांतरण के समय, अपनी जमा की गई पूर्ण ई० डी० सी०/आई० डी० सी० को या तो समायोजित करवा लेते है या नई अनुज्ञप्ती में ई० डी० सी०/आई० डी० सी० की बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती अतः इसे न्यायसंगत बनाने के लिए अधिनियम 1975 की धारा 3 के वर्तमान प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता है।

अतः यह विधेयक।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा, चण्डीगढ़।

चण्डीगढ़ : दिनांक ४ मार्च, 2021. आर० के० नांदल, सचिव।

9096—H.V.S.—H.G.P. Pkl.